22 जून, 2016 को कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित की जाने वाली अनुमोदन बोर्ड की 71वीं बैठक के लिए एजेंडा

मद संख्या 71.1 : औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विलंब से किए गए अनुरोध

14 सितंबर 2012 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन बोर्ड में समान मामलों की जांच की तथा निम्नानुसार टिप्पणी की :

"अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त को 5वें साल के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध की तभी सिफारिश करने की सलाह दी कि विकासक द्वारा परियोजना के प्रचालन के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं और वैधता अवधि पुन: बढ़ाया जाना उचित कारणों पर आधारित है। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी टिप्पणी की कि नेमी मामले के रूप में वैधता अवधि बढ़ाई नहीं जा सकती है जब तक कि विकासक द्वारा जमीनी स्तर पर कुछ प्रगति नहीं की जाती है। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने विचार विमर्श के बाद पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि की समाप्ति की तिथि से औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि एक साल की अवधि के लिए **5**वें साल के बाद तथा **6** माह की अवधि के लिए छठें वर्ष के बाद बढ़ाने के अनुरोधों को मंजूरी प्रदान की।"

(i) जीआईडीसी, पनोली औद्योगिक संपदा, पनोली, जिला भड़ूच, गुजरात में फर्मास्युटिकल एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 16 जून 2016 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स एचबीएस फर्मा एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड से अनुरोध

विकासक का नाम :	मैसर्स एचबीएस फर्मा एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड
क्षेत्र :	फार्मास्यूटिकल
लोकेशन :	जीआईडीसी, पनोली औद्योगिक संपदा, पनोली, जिला भड़ूच, गुजरात
विस्तार :	विकासक को पांच बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है, जो 16 जून, 2016 तक वैध है।
बुनियादी तथ्य :	विकासक को औपचारिक अनुमोदन **17** जून, **2008** को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

विकासक ने परियोजना को पूरा करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) पिछली बार अवधि बढ़ाने के बाद अर्थात जून 2015 से उन्होंने लगभग 9 करोड़ रुपए का वृद्धिमूलक निवेश किया है।

(ii) अब तक किया गया कुल निवेश लगभग 200 करोड़ रुपए है।

(iii) वे कुछ फर्मा कंपनियों के साथ वार्ता के उन्नत चरण में हैं जिन्होंने एसईजेड में कारखाना स्थापित करने की रुचि प्रदर्शित की है।

(iv) 2013-14 में अनुमोदन के लिए सम्यक प्राधिकारी के समक्ष उनके द्वारा प्रस्तुत एसईजेड के संशोधित मास्टर प्लान को गुजरात एसईजेड प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए 25 जून 2014 को अनुमोदित किया गया। 19 फरवरी 2016 को आयोजित गुजरात एसईजेड प्राधिकरण की बैठक के दौरान मुद्दे पर चर्चा हुई।

उपर्युक्त अवसंरचना विकास तथा निवेश को ध्यान में रखते हुए विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने 16 जून 2017 तक पुन: एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

तदनुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) कट्टिजेनहल्ली एवं वेंकटाला गांव, येलाहांका होबली, बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस / बीपीओ / इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 17 जून, 2016 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स गल्फ ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अनुरोध

विकासक का नाम : मैसर्स गल्फ ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

क्षेत्र : आईटी / आईटीईएस / बीपीओ / इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर

लोकेशन : कट्टिनजेनहल्ली और वेंकटाला गांव, येलहंका होबली, बंगलौर, कर्नाटक

विस्तार : विकासक को चार बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है, जो 17 जून, 2016 तक वैध है।

बुनियादी तथ्य : विकासक को औपचारिक अनुमोदन 18 जून, 2009 को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) 14.52 लाख वर्गफीट के साथ परियोजना का चरण 1 पूरा हो गया है जिस पर लगभग 200 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है।

(ii) लगभग 10.06 लाख वर्गफीट के नए ब्लाक का चरण 2 लगभग 184 करोड़ रुपए के निवेश के साथ निर्माणाधीन है तथा 2017 के अंत तक अधिभोग के लिए भवन के तैयार हो जाने की उम्मीद है। लगभग 133 करोड़ रुपए के निवेश से लगभग 6.35 लाख वर्गफीट के निर्मित क्षेत्र वाले दूसरे ब्लाक का निर्माण दो महीनों में शुरू होगा।

(iii) निर्माण का दूसरा चरण प्रगति पर है तथा दिसंबर 2017 के अंत तक अधिभोग के लिए भवन के तैयार हो जाने की उम्मीद है।

(iv) भवन प्लान से संबंधित सभी अनुमोदन प्राप्त कर लिए गए हैं।

(v) साइट को साफ करने का कार्य पूरा हो गया है।

(vi) चारदीवारी का निर्माण पूरा हो गया है

(vii) निर्माण के प्रयोजनार्थ 250 केवीए का विद्युत कनेक्शन प्राप्त किया गया है।

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने 17 जून 2017 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(iii) ओगनज गांव, दसक्रोई तालुक, अहमदाबादजिला, गुजरात में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 06 मई, 2016 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स कैलिका कंस्टक्शन एंड इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक का नाम :	मैसर्स कैलिका कंस्टक्शन एंड इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड
क्षेत्र :	आईटी / आईटीईएस
लोकेशन :	ओगनज गांव, ताल्लुक दसक्रोई, जिला अहमदाबाद, गुजरात
विस्तार :	विकासक को सात बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है, जो 6 मई, 2016 तक वैध है।

बुनियादी तथ्य : विकासक को औपचारिक अनुमोदन 6 नवंबर 2006 को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

विकासक ने परियोजना को पूरा करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) विकासक ने भूमि के लिए 2 करोड़ रुपए का निवेश किया है और अवसंरचना के विकास एवं भवनों के लिए 25 करोड़ रुपए का निवेश किया है।
(ii) चारदीवारी का निर्माण पूरा हो गया है।
(iii) सड़कों का डब्ल्यूबीसी पूरा हो गया है।
(iv) उन्होंने टावर डी और ई में 4.50 लाख वर्गफीट के कार्यालय स्थान का निर्माण किया है।
(v) अपेक्षित सुविधाओं के साथ कार्यालय परिसर उपलब्ध कराए गए हैं तथा कस्टम स्टाफ के लिए स्थायी संरचना निर्माणाधीन है।
(vi) जलापूर्ति के लिए ट्यूबवेल तैयार है और साइट पर विद्युत आपूर्ति उपलब्ध है।
(vii) अगले अनुदेश तक गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा निर्माण कार्य बंद कर दिया गया है।
(viii) पिछली बार बढ़ाई गई अवधि अर्थात 27 अगस्त 2015 से विकासक द्वारा केवल 26 लाख रुपए का वृद्धिमूलक निवेश किया गया है तथा अब तक विकासक द्वारा कुल 27 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है जिसमें भूमि की लागत भी शामिल है।
(ix) सिविल कार्य चल रहा है

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए प्रस्ताव की सिफारिश नहीं की है।

तदनुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 71.2 : सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) अतिपट्टू, नांदियांबक्कम और पुलुडीवक्कम गांव, पोन्नेरी तालुक, तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु में एफटीडब्ल्यूजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि 12 मई, 2016 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स वेंकटेश कोक एंड पावर लिमिटेड का अनुरोध

47.52.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में विकासक को 13 मई, 2014 को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। विकासक को एक बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 12 मई, 2016 तक वैध था।

- (i) पिछली बार अवधि बढ़ाने के बाद वृद्धिमूलक निवेश : अब तक प्रचालन पूर्व व्यय के लिए 5.5 करोड़ रुपए का व्यय किया जा चुका है।
- (ii) विकासक अभी तक सरकारी भूमि प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ है।
- (iii) अब तक भौतिक प्रगति - मैसर्स जोनेस लैंग लसाले (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड ने भूमि का मूल्य 250 करोड़ रुपए आंका है। औपचारिक अनुमोदन प्राप्त करने तथा अधिसूचना के बाद अवसंरचना में अग्रेतर निवेश किया जाएगा।
- (iv) अब तक प्रचालन पूर्व व्यय के लिए 5.5 करोड़ रुपए का व्यय किया जा चुका है।

विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने 12 मई, 2017 तक सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

तदनुसार मामला विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

मद संख्या 71.3 : तीसरे साल के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

- एसईजेड नियमावली के नियम 18 (1) के अनुसार, अनुमोदन समिति विशेष आर्थिक क्षेत्र में यूनिट स्थापित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित या अस्वीकार कर सकती है।
- एसईजेड में यूनिटों के संबंध में मंजूरी पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के मामले एसईजेड नियमावली के नियम 19 (4) द्वारा अभिशासित हैं।
- नियम 19 (4) यह कहता है कि एलओपी एक साल की अवधि के लिए वैध होगा। पहला परंतुक अधिक से अधिक दो साल के लिए एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विकास आयुक्तों को अधिकार प्रदान करता है। दूसरा परंतुक विकास आयुक्त को एक साल की अगली अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने का अधिकार प्रदान करता है, परंतु शर्त यह है कि यूनिट की स्थापना से संबंधित निर्माण सहित दो तिहाई कार्य पूरा हो गया है और उद्यमी द्वारा किसी सनदी इंजीनियर से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है।
- तीसरे वर्ष के बाद (ऐसे मामलों में जहां दो तिहाई गतिविधियां पूरी नहीं हुई हैं) तथा चौथे वर्ष के बाद वैधता अवधि अनुमोदन बोर्ड द्वारा बढ़ाई जाती है।
- अनुमोदन बोर्ड एक बार में एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ा सकता है।
- अनुमोदन बोर्ड द्वारा वैधता अवधि बढ़ाने की कोई समय सीमा नहीं है।

(i) 13 फरवरी, 2016 के बाद अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स एपीपीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो भड़ूच, गुजरात में मैसर्स दाहेज एसईजेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

- **एलओपी जारी किया गया :** नाइलोन कंपाउंड, पीबीटी कंपाउंड, पोलीकार्बोनेट कंपाउंड, ब्लैंड एंड एलॉय, एडवांस पोलीप्रोपलीन कंपाउंड, एडवांस स्टाइरेनिक कंपाउंड, एडवांस कलर मास्टर बैच, स्पेशियलिटी एडिटिव्स मास्टर बैच के विनिर्माण एवं निर्यात के लिए 14 फरवरी 2011 को

- **विस्तार :** 13 फरवरी, 2016 तक 4 (चार)

- **अनुरोध :** वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए।

यूनिट ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

यूनिट ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) भूमि में 3.18 करोड़ रुपए तथा अन्य अवसंरचना में 0.40 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है।

(ii) पिछली बार अवधि बढ़ाने के बाद उन्होंने दाहेज एसईजेड में प्लाट पर अनेक कार्य किए गए हैं जैसे कि साइट की सफाई, प्लाट का सीमांकन, मृदा की जांच एवं सर्वेक्षण, भवन प्लान तैयार करना और विकासक को प्रस्तुत करना।

(iii) एलओए दिनांक 14 फरवरी 2011 की निर्धारित एवं बढ़ाई गई समय सीमा के अंदर उद्यमी / अनुमोदन धारक उत्पादन इसलिए शुरू नहीं कर सका क्योंकि उन्होंने गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से 1 फरवरी 2016 को स्थापित करने के लिए सहमति (एनओसी) प्राप्त की और कच्चे माल का उनका आपूर्तिकर्ता अर्थात मैसर्स ओपल ने अभी तक उत्पादन शुरू नहीं किया है।

विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड ने 13 फरवरी, 2017 तक एक साल की अवधि के लिए एलओपी की अवधि बढ़ाने के अनुरोध की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत है।

(ii) 05 फरवरी, 2015 के बाद अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स मैकसन कलर केम प्राइवेट लिमिटेड जो भड़ूच, गुजरात में मैसर्स दाहेज एसईजेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

- **एलओपी जारी किया गया :** 6 फरवरी 2013 को (i) सल्फ्यूरिक एसिड (साल्ट), (ii) पीसीओएसए (ii) शाफेर साल्ट (iv) फ्लोरोसीन सिरीज और (v) कलरफार्मर, थर्मल पेपर कोटिंग के निर्माण एवं निर्यात के लिए।

- **विस्तार** : विकास आयुक्त द्वारा एलओपी की वैधता अवधि 05 फरवरी, 2015 तक बढ़ाई गई।

- **अनुरोध** : वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए।

यूनिट ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

(i) यूनिट ने कुल 2.35 करोड़ रुपए का निवेश किया है।
(ii) भूमि में 1.65 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है।
(iii) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूनिट के सैंपल अनुमोदित हो गए हैं।

(iv) यूनिट ने 30 सितंबर 2015 को गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पर्यावरणीय स्वीकृति भी प्राप्त कर ली है।

यूनिट ने आश्वासन दिया है कि वे एक साल के अंदर परियोजना पूरी कर लेंगे तथा वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करेंगे।

विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड ने एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 19 (4) के प्रावधानों के अनुसरण में 5 फरवरी 2017 तक एक साल के लिए एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत है।

(iii) 06 जनवरी, 2016 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स बीईएमएल लिमिटेड जो केआईएडीबी एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

- **एलओपी जारी किया गया** : एयरोस्पेस मेकेनिकल कंपोनेंट के विनिर्माण एवं निर्यात के लिए 06 जनवरी 2012 को
- **विस्तार** : 6 जनवरी, 2016 तक 3 (तीन)
- **अनुरोध** : वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए।

यूनिट ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) यूनिट परियोजना इसलिए लागू नहीं कर सकी क्योंकि ठेकेदार को सौंपे गए सिविल तथा पीईबी कार्य बाधित हो गए हैं तथा ठेकेदार मैसर्स यूआरसी कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मध्यस्थता की कार्यवाही का आह्वान किए जाने के कारण निर्माण कार्य रुक गया है।

(ii) यूनिट ने भूमि, चारदीवारी के निर्माण, मशीनरी तथा अन्य सांविधिक शुल्क आदि के लिए 65.94 करोड़ रुपए की राशि खर्च की है।

अब यूनिट के लिए एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 19 (4) के दूसरे परंतुक की शर्तों में प्रावधान के अनुसार निर्माण सहित दो तिहाई गतिविधियों के पूरा होने के अभाव में चौथे वर्ष के लिए तथा इसके बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने की आवश्यकता है।

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने विचार करने के लिए एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए यूनिट का अनुरोध अग्रेषित किया है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत है।

(iv) 28 जून, 2016 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स लैंको सोलर प्राइवेट लिमिटेड जो ग्राम मेहरुमखुर्द एवं चावर्धल, जिला राजनंदगांव, छत्तीसगढ़ में मैसर्स लैंको सोलर प्राइवेट लिमिटेड के एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

- **एलओपी जारी किया गया** : 29 जून 2013 को पोलीसिलिकॉन, इनगॉट एवं वैफर तथा संबद्ध सामग्रियों / उत्पादों के निर्माण के लिए।

- **विस्तार :** 28 जून, 2016 तक 4 (चार)
- **अनुरोध :** वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए।

यूनिट ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) यूनिट ने प्लांट एवं मशीनरी लगाने तथा सिविल कार्य के लिए परियोजना में अब तक 1411 करोड़ रुपए का निवेश किया है।

(ii) इस आशय का सनदी इंजीनियर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। यूनिट ने दिसंबर 2016 तक ट्रायल प्रोडक्शन आरंभ करने तथा जून 2017 तक वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की योजना बनाई है।

(iii) किया गया सिविल कार्य - 91 प्रतिशत (2015-16)

(iv) प्लांट एवं मशीनरी का आयात - 85 प्रतिशत (2015-16)

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने 28 जून, 2017 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए यूनिट के अनुरोध की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत है।

(v) 07 जून, 2016 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स डा. रेड्डीज लैबोरेटरीज लिमिटेड - एफटीओ 9 जो वीएसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

टैबलेट / कैप्सूल के विनिर्माण के लिए उपर्युक्त यूनिट को 19 अप्रैल, 2010 को एलओपी प्रदान किया गया था। यूनिट को 4 विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 18 अप्रैल, 2015 तक है।

- **एलओपी जारी किया गया :** 8 जून 2012 को इंजेक्टेबल / इंजेक्शन (प्रि फिल्ड सिरिंज, शीशी तथा कार्ट्रिज) के निर्माण के लिए
- **विस्तार :** 07 जून, 2016 तक 3 (तीन)
- **अनुरोध :** वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए।

यूनिट ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

यूनिट ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) 31 दिसंबर 2016 तक स्थिति के अनुसार चरण 1 में इंजेक्टेबल के उत्पादन के लिए सभी सुविधाओं के सृजन में 266.72 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है तथा 207 लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है।

(ii) यूनिट ने सिविल कार्य तथा मशीनरी का इंस्टालेशन पूरा कर लिया है और डीएमएफ फाइल करने के लिए यूएसएफडीए के मानकों को पूरा करने के लिए ट्रायल बैच प्रगति पर हैं।

(iii) यूएसएफडीए द्वारा निरीक्षण लंबित है तथा 6 माह के अंदर पूर्ण हो जाने की उम्मीद है और इसके बाद वे वाणिज्यिक बैच के लिए आवेदन करेंगे।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने 07 जून, 2017 तक एक साल की अवधि के लिए एलओपी की अवधि बढ़ाने के अनुरोध की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत है।

मद संख्या 71.4 : सह विकासक के लिए अनुरोध

(i) मैसर्स बायोकॉन लिमिटेड द्वारा बंगलौर, कर्नाटक में जैव प्रौद्योगिकी के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स सिंजेन इंटरनेशनल लिमिटेड का अनुरोध

35.55 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

मैसर्स सिंजेन इंटरनेशनल लिमिटेड ने उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। आवेदक 100 करोड़ रुपए की लागत पर बायोकॉन एसईजेड में 36150 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में स्थित सिंजेन इंटरनेशनल लिमिटेड की एसईजेड यूनिटों (13 यूनिट) की अवसंरचना संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 8082 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में सामान्य अवसंरचना के साथ ग्रीन फील्ड कैंपस का निर्माण करेगा।

विकासक के साथ किया गया प्रारूप सह विकासक करार उपलब्ध कराया गया है। प्रारूप पट्टा विलेख भी उपलब्ध कराया गया है।

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) ग्राम ननक्रमगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में मैसर्स मंत्री डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स मंत्री कॉसमास 2 ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन का अनुरोध

1.0504 हेक्टेयर के क्षेत्रफल पर 1,03,512.5 वर्गमीटर के निर्मित क्षेत्र में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

मैसर्स मंत्री कॉसमास 2 ऑनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने अपने हिस्से के स्थान का प्रचालन एवं अनुरक्षण करने तथा बेयर शेल को वार्म शेल में अपग्रेड करने के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। यूनिट के साथ वार्ता में सुविधा के लिए कुछ भूस्वामियों ने निम्नलिखित कार्यों के लिए एक संगठन बनाया है (1) अवसंरचना सुविधाओं का सृजन जैसे कि इंटीरियर फिट आउट एवं सर्विस, विद्युतीकरण, फायर फाइटिंग, स्थिर फ्रिक्वेंसी पर 24x7 निर्विघ्न विद्युत आपूर्ति, 100 प्रतिशत पावर बैकअप, विश्वसनीय डाटा कनेक्टिविटी, सेंट्रल एयर कंडिशनिंग सिस्टम (एचवीएसी), जो एसईजेड में प्रचालन के लिए आईटी / आईटीईएस कंपनियों द्वारा अपेक्षित हैं, (2) ऐसी अवसंरचना सुविधाओं के सृजन के लिए अपेक्षित निवेश राशि (3) मंत्री कॉसमास टावर 2 की अवसंरचना सुविधाओं का प्रबंधन, अनुरक्षण, प्रचालन एवं रखरखाव। इसके अलावा सह विकासक ने 62406.56 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में लगभग 22.90 करोड़ रुपए का निवेश करके सुविधा को बेयर शेल से वार्म शेल में अपग्रेड करने का अतिरिक्त कार्य किया।

विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 11 फरवरी, 2016 उपलब्ध कराया गया है। पूरक करार दिनांक 11 मार्च, 2013 उपलब्ध कराया गया है।

विकासक ने बताया है कि भूस्वामियों के साथ विकास करार के अनुसरण में उन्होंने सर्वे नंबर 130 (पी), नानक्रमगुडा गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में 1.0504 हेक्टेयर में 1,03,512.5 वर्गफीट के 2 वाणिज्यिक ब्लाकों का निर्माण किया है। इन दो ब्लाकों के नाम मंत्री कॉसमास टावर 1 और टावर 2 रखे गए हैं। चूंकि एक संभावित किराएदार ने एकल यूनिट के रूप में मंत्री कॉसमास के संपूर्ण टावरों को पट्टा पर लेने की इच्छा प्रदर्शित की है परंतु टावरों के लिए एसईजेड स्टेटस की आवश्यकता है इसलिए उन्होंने एसईजेड स्टेटस के लिए आवेदन किया जिसे औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया।

इसके अलावा मैसर्स मंत्री डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स असेंचर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के बीच 22 जनवरी 2016 को निष्पादित पट्टा करार में संशोधन करार दिनांक 1 सितंबर 2015 के अनुसार पट्टाकर्ता और भूमि स्वामी किराया तथा अन्य किरायों एवं अन्य राजस्व की प्राप्ति एवं निक्षेप के प्रयोजनार्थ 2 भवनों का स्वामित्व निम्नलिखित अनुपात में साझा करने के लिए सहमत हुए हैं :

(i) मंत्री डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड - 10.536 प्रतिशत
(ii) क्लासिक इनफोटेक एलएलपी - 29.464 प्रतिशत
(iii) मंत्री कॉसमास 2 ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन - 60 प्रतिशत

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iii) जामिन पल्लावरम गांव, चेंगलपट्टू तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए मैसर्स एसएनपी इंफ्रास्ट्रक्चर एलएलपी द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स एंबेसी प्रापर्टी डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

11.14.7 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

मैसर्स एंबेसी प्रापर्टी डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने 11.14.7 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सह विकासक करार के तहत संविदा के अनुसार अधिकृत प्रचालन का संचालन सहित एसईजेड में विकास, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए उपर्युक्त एसईजेड सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 20 मई, 2016 उपलब्ध कराया गया है। पट्टा विलेख दिनांक 28 अप्रैल, 2016 पट्टा की अवधि 30 साल है। सह विकासक करार के खंड 15 की शर्तों के अनुसार सह विकासक 60 करोड़ रुपए का भुगतान करेगा जो सह विकासक करार की शर्तों के अनुसरण में परियोजना के पूर्ण हो जाने पर लौटाया जा सकता है। लीज होल्ड के अधिकारों के संबंध में रेंट में डिस्काउंट प्राप्त करने का अधिकार, पट्टा पर देने योग्य 61 प्रतिशत क्षेत्रफल तथा सह विकासक का रेंट।

विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iv) कट्टूपल्ली गांव, पोन्नेरी तालुक, तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु में भारी इंजीनियरिंग के लिए मैसर्स एलएंडटी शिपबिल्डिंग लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स मरीन इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

607.89 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

मैसर्स मरीन इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपर प्राइवेट लिमिटेड ने एसईजेड में मौजूद पोर्ट तथा कंटेनर फ्रेट स्टेशन में पोर्ट सेवाएं प्रदान करने, अनुरक्षित करने एवं प्रदान करने तथा सह विकासक की भूमि में ग्राहकों को पोर्ट सेवाएं प्रदान करने के प्रयोजनार्थ अवसंरचना सुविधाओं के अग्रेतर विकास, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए 187.30 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 27 अप्रैल, 2016 उपलब्ध कराया गया है। पट्टा विलेख दिनांक 27 अप्रैल, 2016 पट्टा की अवधि 30 साल है।

विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(v) मुंद्रा, कच्छ, गुजरात में मैसर्स अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स अडानी एलपीजी टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

उपर्युक्त प्रस्ताव 23 फरवरी 2016 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 69वीं बैठक में आया था जो अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने निदेश दिया कि यदि विकासक एसईजेड अधिनियम के तहत ग्राह्य आयकर लाभ प्राप्त किए बगैर तथा कोई ड्यूटी फ्री लाभ लिए बगैर सुविधाओं का विकास करना चाहता है। अब मैसर्स एएलटीपीएल कैपेक्स तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण दोनों पर कोई ड्यूटी फ्री लाभ तथा एसईजेड अधिनियम के तहत ग्राह्य आयकर लाभ लिए बगैर परियोजना का विकास एवं प्रचालन करने के लिए सहमत है।

6456.3349 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

मैसर्स अडानी एलपीजी टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड ने 26 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एलपीजी भंडारण एवं रिक्तीकरण टर्मिनल तथा संबद्ध अवसंरचना सुविधाओं के विकास, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 28 नवंबर, 2015 उपलब्ध कराया गया है। प्रारूप पट्टा विलेख भी उपलब्ध कराया गया है। उप पट्टा की अवधि 16 फरवरी 2031 तक है। वार्षिक पट्टा किराया 200 रुपए प्रति वर्गमीटर है जो वार्षिक आधार पर देय है। किसी कटौती के बगैर अग्रिम में वार्षिक उप पट्टा किराया का भुगतान किया जाएगा तथा इसमें 20 प्रतिशत की दर से हर तीसरे साल वृद्धि की जाएगी। उप पट्टाधारक भूमि के चारों ओर प्रदान की गई सभी अवसंरचना सुविधाओं के अनुरक्षण एवं रखरखाव के लिए 18 रुपए प्रति वर्गमीटर की दर से एसईजेड के अनुरक्षण प्रभार के रूप में एसईजेड को अनुरक्षण प्रभार का भुगतान करेगा।

(i) मैसर्स एएलटीपीएल मैसर्स एपीएसईजेड लिमिटेड की 100 प्रतिशत सहायक कंपनी है।
(ii) मैसर्स एएलटीपीएल ने सूचित किया कि उन्होंने एपीएसईजेड में 26 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मुंद्रा में एलपीजी भंडारण एवं निकासी टर्मिनल की सुविधाओं का विकास, प्रचालन एवं अनुरक्षण करने का प्रस्ताव किया था।
(iii) शुरुआती चरण में टर्मिनल में बुटेन और प्रोपेन कार्गो की हैंडलिंग तथा एलपीजी की निकासी के लिए 50000 मीटर की संयुक्त क्षमता के साथ 2 स्टोरेज टैंकों में।
(iv) परियोजना में अवसंरचना सुविधाओं में लगभग 1023 करोड़ रुपए का निवेश शामिल है।
(v) 4000 लोगों के लिए रोजगार (प्रत्यक्ष एवं परोक्ष) का सृजन होने की उम्मीद है।

(vi) परियोजना की प्रोफाइल के अनुसार, 2017 के मध्य तक परियोजना लागू हो जाने की उम्मीद है।

सह विकासक ने एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित विशिष्ट अधिकृत प्रचालनों के लिए मंजूरी प्रदान करने के लिए पुन: अनुरोध किया है :

क्र. सं.	**अधिकृत प्रचालन**	**यूनिटों की संख्या**	**यथा लागू एफएसआई / एफएआर मानदंड के अनुसार प्रति यूनिट क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)**	**कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) / क्षमता (मेगावाट में)**
1.	जेट्टी से टर्मिनल एरिया तथा टैंकर लोडिंग एरिया तक पाइप लाइन (जेट्टी से टर्मिनल एरिया तक 1.1 किलोमीटर का पाइप रूट कोरिडोर जिसकी चौड़ाई लगभग 3-4 मीटर होगी। (टर्मिनल से टैंकर लोडिंग एरिया तक 3.5 किलोमीटर का पाइप रूट कोरिडोर जिसकी चौड़ाई लगभग 3-4 मीटर होगी)	4	लागू नहीं	20.0 किलोमीटर
2	भंडारण टैंक (2 X 25000 मीट्रिक टन)	2	लागू नहीं	50000 मीट्रिक टन
3	पुन: गैसीकरण एवं मिश्रण की सुविधा	-	लागू नहीं	1.60 एमएमटीपीए

विकास आयुक्त, एपीएसईजेड ने कैपेक्स तथा ओपेक्स पर किसी ड्यूटी लाभ के बगैर प्रस्ताव की सिफारिश की है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 71.5 : विविध मामले

(i) कंपनी के निदेशकों एवं शेयर होल्डिंग में परिवर्तन के लिए मैसर्स लॉजीकैप्ट इनफार्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड जो मोहाली, पंजाब में मैसर्स क्वार्कसिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की यूनिट है, का अनुरोध

उपर्युक्त यूनिट को 17 सितंबर, 2014 को एलओपी प्रदान किया गया था। एलओए 10 नवंबर, 2019 तक वैध है।

यूनिट अर्थात मैसर्स आचविस साफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड ने शेयर होल्डिंग के अपने पैटर्न में निम्नानुसार परिवर्तन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है :

शेयर धारक का नाम	निदेशकों में परिवर्तन से पूर्व शेयर होल्डिंग (शेयरों की संख्या)	निदेशकों में परिवर्तन के बाद शेयर होल्डिंग (शेयरों की संख्या)
श्री पवन कुमार	5000 (50 प्रतिशत)	--
श्री अनुज	5000 (50 प्रतिशत)	--
श्री अभय गोयल	--	5000 (50 प्रतिशत)
श्री निखिल गर्ग	--	5000 (50 प्रतिशत)
कुल	10000 (100 प्रतिशत)	10000 (100 प्रतिशत)

भारत में व्यवसाय करने की सरलता बढ़ाने की दृष्टि से और यह कि संस्था / व्यवसाय का पुनर्गठन बहुत आम प्रथा है, 23 फरवरी 2006 को आयोजित अपनी 69वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि नियम 74ए के प्रावधान एसईजेड की ऐसी यूनिटों पर लागू नहीं होंगे जो दूसरे व्यक्ति को अपनी परिसंपत्तियों एवं देयताओं का हस्तांतरण करके एसईजेड स्कीम से बाहर नहीं निकलती हैं या निकने का विकल्प चुनती हैं तथा एसईजेड यूनिट उपर्युक्त स्थिति में सतत सरोकार के रूप में प्रचालन करना जारी रखती है। संबंधित यूनिट अनुमोदन समिति एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 19(2) के तहत ऐसे अनुरोधों पर विचार कर सकती है।

जहां तक व्यवसाय अंतरण करार का संबंध है, स्पष्ट किया गया कि व्यवसाय अंतरण करार के फलस्वरूप वैश्विक स्तर पर कुछ अधिग्रहण होते हैं जो अधिग्रहणकर्ता को सतत सरोकार आधार पर भारतीय कंपनी की एसईजेड यूनिट के अंतरण में परिणत होता है। अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि स्वामित्व परिवर्तन करने वाले ऐसे मामलों पर निर्णय मामला दर मामला आधार पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा मेरिट के आधार पर लिया जाएगा।

यूनिट एसईजेड से बाहर निकलने का विकल्प नहीं चुन रही है तथा शेयर होल्डिंग में 100 प्रतिशत परिवर्तन है और इस प्रकार प्रस्ताव 23 फरवरी, 2016 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 69वीं बैठक द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार यूनिट अनुमोदन समिति को सौंपे गए अधिकारों के तहत शामिल नहीं है।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

यूनिट का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) ग्राम ग्वाल पहाड़ी, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा में मैसर्स एएसएफ इनसिग्निया एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स किंग्स कैनन एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

19.3028 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

मैसर्स किंग्स केनन एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड ने एएसफ इनसिग्निया एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड के प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर 2.751 एकड़ के चिह्नित एसईजेड क्षेत्र जो किंग्स केनन एसईजेड बिल्डिंग के रूप में चिह्नित है तथा निर्मित क्षेत्रफल 1100466 वर्गफीट है जिसमें ब्लाक ए (ग्राउंड फ्लोर प्लस 14 फ्लोर), ब्लाक बी (ग्राउंड फ्लोर प्लस 12 फ्लोर), ब्लाक सी (ग्राउंड फ्लोस प्लस 12 फ्लोर) तथा नीचे के 3 बेसमेंट शामिल है, में अवसंरचना सुविधाओं के प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने और/या अभिचिन्हित एसईजेड के विकास की प्रकृति में और विकास तथा अग्रेतर अधिकृत प्रचालनों की संस्वीकृत के अनुसरण में उसके प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने पत्र दिनांक 8 अप्रैल 2016 के माध्यम से उपर्युक्त अधिकृत प्रचालनों के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है और तदनुसार 28 अप्रैल 2016 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 70वीं बैठक द्वारा इस पर निर्णय लिया गया। तथापि, विकासक ने पत्र दिनांक 24 मई 2016 के माध्यम से अधिकृत प्रचालन शीर्ष (प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा) के तहत निम्नानुसार अनुरोध किया है जिनको विकास आयुक्त, एनएसईजेड द्वारा संस्तुत पिछले अनुमोदन बोर्ड में व्यापक रूप से शामिल नहीं किया गया है :

पिछले अनुमोदन बोर्ड में अनुमोदित सुविधाओं का विवरण	**प्रदान किए जाने के लिए प्रस्तावित सुविधाओं का विवरण**
एएसफ इनसिग्निया एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड के प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर 2.751 एकड़ के चिह्नित एसईजेड क्षेत्र जो	एएसफ इनसिग्निया एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड के प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर 2.751 एकड़ के चिह्नित एसईजेड क्षेत्र जो

किंग्स केनन एसईजेड बिल्डिंग के रूप में चिह्नित है तथा निर्मित क्षेत्रफल 1100466 वर्गफीट है जिसमें ब्लाक ए (ग्राउंड फ्लोर प्लस 14 फ्लोर), ब्लाक बी (ग्राउंड फ्लोर प्लस 12 फ्लोर), ब्लाक सी (ग्राउंड फ्लोस प्लस 12 फ्लोर) तथा नीचे का बेसमेंट शामिल है, में अवसंरचना सुविधाओं का प्रचालन एवं अनुरक्षण।	किंग्स केनन एसईजेड बिल्डिंग के रूप में चिह्नित है तथा निर्मित क्षेत्रफल 1100466 वर्गफीट है जिसमें ब्लाक ए (ग्राउंड फ्लोर प्लस 14 फ्लोर), ब्लाक बी (ग्राउंड फ्लोर प्लस 12 फ्लोर), ब्लाक सी (ग्राउंड फ्लोस प्लस 12 फ्लोर) तथा नीचे के 3 बेसमेंट शामिल है, में अवसंरचना सुविधाओं के प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने और/या अभिचिन्हित एसईजेड के विकास की प्रकृति में और विकास तथा अग्रेतर अधिकृत प्रचालनों की संस्वीकृत के अनुसरण में उसका प्रचालन एवं अनुरक्षण।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iii) ग्राम ग्वाल पहाड़ी, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा में मैसर्स एएसएफ इनसिग्निया एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स ग्रांड केनन एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

19.3028 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

मैसर्स ग्रांड केनन एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड ने 3.739 एकड़ के चिह्नित क्षेत्रफल में मौजूद अवसंरचना के प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, अर्थात 1420198 वर्गफीट के निर्मित क्षेत्र के साथ ब्लाक ए, बी, सी, डी एवं ई तथा तीन लेवल के बेसमेंट में ग्रांड केनन एसईजेड भवन जिसमें ग्राउंड फ्लोर प्लस 17 फ्लोर शामिल हैं, जो सह विकासक के रूप में एएसएफ इनसिग्निया एसईजेड का हिस्सा है (ब्यौरे फार्म ए1 के अनुबंध 1 और 2 में उपलब्ध हैं) (अर्थात चिह्नित एसईजेड क्षेत्र में मौजूद अवसंरचना का प्रचालन एवं अनुरक्षण और/या चिह्नित एसईजेड क्षेत्र का अग्रेतर विकास / पुनर्विकास एवं अग्रेतर अधिकृत प्रचालन की संस्वीकृति के अनुसरण में उसका प्रचालन एवं अनुरक्षण)।

विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 3 फरवरी, 2016 उपलब्ध कराया गया है। प्रारूप पट्टा विलेख भी उपलब्ध कराया गया है। पट्टा की अवधि 30 साल है। पट्टाधारक पट्टाकर्ता को नियत वार्षिक पट्टा किराया के रूप में 24,30,000 रुपए के पट्टा किराया का भुगतान करेगा। पट्टा किराया पिछले वर्ष के पट्टा के लिए हर कलेंडर वर्ष के 15 जनवरी को या उससे पहले वार्षिक आधार पर अग्रिम में देय होगा।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने पत्र दिनांक 8 अप्रैल 2016 के माध्यम से उपर्युक्त अधिकृत प्रचालनों के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है और तद्नुसार 28 अप्रैल 2016 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 70वीं बैठक द्वारा इस पर निर्णय लिया गया। तथापि, विकासक ने पत्र दिनांक 24 मई 2016 के माध्यम से अधिकृत प्रचालन शीर्ष (प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा) के तहत निम्नानुसार अनुरोध किया है जिनको विकास आयुक्त, एनएसईजेड द्वारा संस्तुत पिछले अनुमोदन बोर्ड में व्यापक रूप से शामिल नहीं किया गया है :

पिछले अनुमोदन बोर्ड में अनुमोदित सुविधाओं का विवरण	**प्रदान किए जाने के लिए प्रस्तावित सुविधाओं का विवरण**
3.739 एकड़ के क्षेत्रफल में एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में 3.739 एकड़ के चिह्नित क्षेत्र अर्थात 1420198 वर्गफीट के निर्मित क्षेत्र के साथ ग्रैंड केनन एसईजेड बिल्डिंग जिसमें ब्लाक ए, बी, सी, डी एवं ई में से प्रत्येक	एसईजेड के 3.739 एकड़ के चिह्नित क्षेत्रफल में मौजूद अवसंरचना का प्रचालन एवं अनुरक्षण अर्थात 1420198 वर्गफीट के निर्मित क्षेत्र के साथ ब्लाक ए, बी, सी, डी एवं ई तथा तीन लेवल के बेसमेंट में ग्रांड केनन एसईजेड भवन जिसमें ग्राउंड

में ग्राउंड फ्लोर प्लस 17 फ्लोर तथा 3 लेवल के बेसमेंट शामिल हैं, का सह विकास।	फ्लोर प्लस 17 फ्लोर शामिल हैं, जो सह विकासक के रूप में एएसएफ इनसिग्निया एसईजेड का हिस्सा है (ब्यौरे फार्म ए1 के अनुबंध 1 और 2 में उपलब्ध हैं) (अर्थात चिह्नित एसईजेड क्षेत्र में मौजूद अवसंरचना का प्रचालन एवं अनुरक्षण और/या चिह्नित एसईजेड क्षेत्र का अग्रेतर विकास / पुनर्विकास एवं अग्रेतर अधिकृत प्रचालन की संस्वीकृति के अनुसरण में उसका प्रचालन एवं अनुरक्षण)।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 71.6 : अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील

(i) यूनिट अनुमोदन समिति, एनएसईजेड द्वारा पारित आदेश दिनांक 20 अगस्त, 2015 के विरुद्ध मैसर्स मोजेर बियर इंडिया लिमिटेड (एसईजेड पावर प्लांट यूनिट) जो एनएसईजेड की यूनिट है, की अपील

विद्युत के उत्पादन में शामिल यूनिट को एलओए संख्या 1/03/2009-प्रोजेक्ट/6842 दिनांक 8 अक्टूबर 2009 जारी किया गया और फिर उसे 4 दिसंबर 2014 को नवीकृत किया गया, जिसका उपभोग कैप्टिव है तथा एमबीआईएल एसईजेड के अंदर अन्य एसईजेड यूनिटों को भी आपूर्ति की जाती है। यूनिट ने पत्र दिनांक 22 मार्च 2016 के माध्यम से मैसर्स मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड (एमबीआईएल) के गैर परंपरागत ऊर्जा एसईजेड में प्लाट नंबर 66 बी, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा में पावर प्लांट यूनिट स्थापित करने के लिए नया एलओए जारी किरने के लिए आवेदन किया। इसे 01 अप्रैल, 2016 को आयोजित यूनिट अनुमोदन समिति की बैठक में रखा गया था।

समुचित विचार विमर्श के बाद विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने पत्र दिनांक 18 अप्रैल 2016 के माध्यम से सूचित किया है कि समिति ने सर्वसम्मति से महसूस किया कि यूनिट को नया एलओए जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि अनुमोदन समिति उक्त विद्युत उत्पादन यूनिट को मंजूरी प्रदान कर चुकी है। इसके अलावा समिति ने नोट किया कि वाणिज्य विभाग द्वारा पत्र संख्या 6/3/2006-एसईजेड दिनांक 26 अप्रैल 2015 के माध्यम से बहाल किए गए पिछले विद्युत दिशानिर्देश दिनांक 27 फरवरी 2009 के अनुसार यूनिट को 1 अप्रैल 2015 से 15 फरवरी 2016 की अवधि के दौरान प्रचालन एवं अनुरक्षण लाभ अनुमत नहीं किए गए तथा निदेश दिया कि यूनिट से इसकी वसूली करने की आवश्यकता है। समिति ने यह भी निर्णय लिया कि अब यूनिट वाणिज्य विभाग द्वारा पत्र संख्या पी6/3/2006-एसईजेड (खंड 3) दिनांक 16 फरवरी 2016 के माध्यम से जारी किए गए नए विद्युत दिशानिर्देश के पैरा 3 के तहत प्रचालन एवं अनुरक्षण लाभ के लिए पात्र होगी तथा इसके लिए यह शर्त होगी कि ईओयू को विद्युत के अंतरण के लिए कोई ड्यूटी फ्री लाभ अनुमत नहीं होगा। इसके अलावा समिति ने सूचित किया कि यूनिट को इसके द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन वाणिज्य विभाग द्वारा जारी किए गए विद्युत दिशानिर्देश दिनांक 16 फरवरी 2016 के पैरा 3 के अनुसरण में एलओए संख्या 1/03/2009-प्रोजेक्ट/6842 दिनांक 8 अक्टूबर 2009 के तहत यूनिट के रूप में जारी रखने की अनुमति होगी :

(i) यूनिट इस पत्र के जारी होने की तिथि से 15 दिन की अवधि के अंदर 1 अप्रैल 2015 से 15 फरवरी 2016 की अवधि के लिए विद्युत संयंत्र के प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए आयातित तथा डीटीए से प्राप्त की गई सामग्री पर ड्यूटी परित्याग के रूप में 1,55,76,751 रुपए की राशि लौटाएगी।

(ii) वाणिज्य विभाग द्वारा जारी किए गए विद्युत दिशानिर्देश दिनांक 16 फरवरी 2016 का पालन किया जाएगा;
(iii) ईओयू को विद्युत के अंतरण के लिए कोई ड्यूटी फ्री लाभ अनुमत नहीं होगा;
(iv) एलओए दिनांक 8 अक्टूबर 2009 की सभी अन्य शर्तों एवं निबंधनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा;
(v) उपर्युक्त पत्र के जारी होने की तिथि से 15 दिन के अंदर नया / अतिरिक्त बांड सह एलयूटी निष्पादित किया जाएगा और उपर्युक्त शर्तों एवं नियमों के स्वीकार होने की पुष्टि की जाएगी।

उपर्युक्त आदेश से व्यथित अपीलकर्ता ने माननीय अनुमोदन बोर्ड से प्रार्थना की कि 1 अप्रैल 2015 से 15 फरवरी 2016 की अवधि के दौरान यूनिट पर लागू प्रचालन एवं अनुरक्षण लाभ को एसईजेड अधिनियम, नियमावली तथा विनियम एवं संगत विद्युत दिशानिर्देशों के तहत अनुमत किया जा सकता है तथा ईओयू को विद्युत के अंतरण के लिए ड्यूटी फ्री लाभ एसईजेड अधिनियम, नियमावली तथा विनियम एवं संगत विद्युत दिशानिर्देशों के तहत ग्राह्य हैं।

अपीलकर्ता ने उपर्युक्त अस्वीकृति के खिलाफ वर्तमान अपील (अनुबंध 1) दाखिल की है।

(ii) आदेश दिनांक 12 फरवरी 2016 जो पत्र दिनांक 26 फरवरी 2016 के माध्यम से सूचित किया गया, के विरुद्ध मैसर्स अलियांज मैनेज्ड ऑपरेशंस एंड सर्विसेज एसईजेड जो एसईईपीजेड एसईजेड है, की अपील

यूनिट को एलओए नंबर एसईईपीजेड-एसईजेड / ईकेआईपीएल-एसईजेड / एएमओ एंड एस /20/2012-13/4585 दिनांक 16 अप्रैल 2013 तथा एसईईपीजेड-एसईजेड / ईकेआईपीएल-एसईजेड / एएमओ एंड एस/20/2012-13/10418 दिनांक 25 सितंबर 2013 जारी किया गया। अलियांज मैनेज्ड ऑपरेशंस एंड सर्विसेज एसई (अमोस) को निम्नलिखित गतिविधियों के संचालन के लिए पुणे में एसईजेड यूनिट के रूप में शाखा स्थापित करने के लिए उपर्युक्त एलओए के माध्यम से विकास आयुक्त, एसईपीजेड, मुंबई द्वारा प्रदान किए गए अनुमोदन के अनुसरण में ईओएन खराडी एसईजेड (इसके बाद यहां आगे अमोस पुणे कहा गया है) में यूनिट स्थापित करने के लिए अनुमोदित किया गया है।

- सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं का निर्यात (व्यावसायिक विधिक सेवाओं तथा व्यावसायिक लेखांकन सेवाओं को छोड़कर)
- अप्लीकेशन विकास एवं अनुरक्षण
- हेल्प डेस्क तथा सेवा संबद्ध सेवाएं
- आईटी अवसंरचना के क्षेत्र में सेवाएं
- सैप सर्विस तथा बैक आफिस वित्त व्यवसाय सेवाएं

अमोस ने पत्र दिनांक 20 नवंबर 2015 के माध्यम से विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड के कार्यालय से अनुदेश संख्या डी12/25/2012-एसईजेड दिनांक 20/22 फरवरी 2013 (डीआर/बीसीपी अनुदेश) में निहित प्रावधान के अनुसरण में आपदा रिकवरी (डीआर) / व्यवसाय सततता योजना (बीसीपी) सेंटर को शामिल करने के लिए अनुरोध किया था। अमोस वाणिज्यिक आधार पर तीसरे पक्ष के विदेशी ग्राहकों के लिए डीआर / बीसीपी सेवा प्रदान करने की योजना बना रहा है।

12 फरवरी 2016 को आयोजित यूनिट अनुमोदन समिति की बैठक में उपर्युक्त प्रस्ताव पर विचार किया गया जिसमें यूनिट अनुमोदन समिति ने ब्राड बैंडिंग की श्रेणी के तहत एलओए में आपदा रिकवरी / व्यवसाय सततता योजना सेंटर को शामिल करने के उपर्युक्त प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान नहीं की गई क्योंकि ये व्यवसाय के दो भिन्न माडल हैं जिसके लिए एनएफई की गणना एक साथ नहीं की जा सकती है।

यूनिट अनुमोदन समिति के उपर्युक्त निर्णय से व्यथित यूनिट ने मौजूदा एलओए में डीआर / बीसीपी की गतिविधियों को शामिल करने के लिए अनुरोध किया जिसे यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है क्योंकि उन्होंने बताया है कि ये व्यवसाय के दो भिन्न माडल हैं जिसके लिए एनएफई की गणना एक साथ नहीं की जा सकती है।

अमोस ने प्रार्थना किया है कि डीआर/बीसीपी एसईजेड नियमावली के तहत निर्धारित परिभाषा के अनुसार आईटी / आईटीईएस गतिविधियों के विस्तार के रूप में अर्हक होगा। डीआर/बीसीपी के संबंध में जारी किए गए अनुदेश के अनुसार यह आईटी / आईटीईएस / एसईजेड की यूनिटों पर लागू है। तद्नुसार अनुदेश के पैरा 4 के तहत डीआर / बीसीपी व्यवस्था ब्राड बैंडिंग के रूप में मान्यता के लिए अर्हक होनी चाहिए तथा गतिविधि आईटी / आईटीईएस के रूप में जारी रहनी चाहिए और गतिविधियों के विविधीकरण के रूप में समान एसईजेड यूनिट के अंदर वाणिज्यिक आधार पर डीआर / बीसीपी का संचालन अनुमत किया जाना चाहिए।

अपीलकर्ता ने उपर्युक्त अस्वीकृति के खिलाफ वर्तमान अपील (अनुबंध 2) दाखिल की है।

****